

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2026

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मानिकपुर के उ0नि0 एनामुल अहमद मय हमराह रि0का0 विशाल गुप्ता, रि0का0 अभिलेश कुमार, रि0म0का0 खुसी यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एससी न0 1425/2020 राज्य सरकार बनाम विशम्भर गौतम मु0अ0सं0 73/2020 थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ माननिय न्यायालय एस सी एस टी स्पेशल कोर्ट प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त गंगा प्रसाद यादव पुत्र कालिदीन यादव नि० पुरे चैनी का पुरवा सहीजनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गंगा प्रसाद यादव पुत्र कालिदीन यादव नि० पुरे चैनी का पुरवा सहीजनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -

उ0नि0 एनामुल अहमद मय हमराह रि0का0 विशाल गुप्ता, रि0का0 अभिलेश कुमार, रि0म0का0 खुसी यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त, विमल कुमार शुक्ला को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

प्रार्थी की पुत्री का विवाह दिसंबर 2024 में विमल शुक्ला उर्फ सचिन शुक्ला निवासी ग्राम शिवगढ़ा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद पति, सास एवं ससुर द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। दिनांक 25.06.2026 को दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपियों द्वारा उसे जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाने का आरोप है, जिसके बाद उपचार के दौरान दिनांक

26.06.2026 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0सं0 163/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त विमल कुमार शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला निवासी ग्राम शिवगढ़ा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विमल कुमार शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला निवासी ग्राम शिवगढ़ा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर बाजार में शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि अभियुक्त सागर सरोज द्वारा उसके परिवार से लगातार रंगदारी की मांग की गई तथा विरोध करने पर मारपीट, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास एवं जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में अभियुक्त द्वारा पुनः परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 109(1)/115(2)/308(5)/333/351(3)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 सन्तोष कुमार सिंह व रि0कां0 साहिल रंजन द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0सं0 278/2026 धारा 109(1)/115(2)/308(5)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सागर सरोज उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र राम सजीवन सरोज निवासी ग्राम लच्छीपुर, थाना- रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर बाजार में शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सागर सरोज उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र राम सजीवन सरोज निवासी ग्राम लच्छीपुर, थाना- रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 सन्तोष कुमार सिंह व रि0कां0 साहिल रंजन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: रानीगंज पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों, मो0 वहीद, साहिल उर्फ जानी को क्षेत्रान्तर्गत रेलवे फाटक रानीगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराही का0 विकास बाबू, का0 दिलीप कुमार, का0 सौरभ यादव, रि0का0 रचित सिंह, रि0का0 अन्जनेय, रि0का0 विमलेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत रेलवे फाटक रानीगंज बाजार के पास से 02

अभियुक्तों, 01. मो0 वहीद पुत्र जमालुद्दीन नि0 ग्रा0 कुसफरा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 02. साहिल उर्फ जानी पुत्र सिद्दीक नि0 ग्रा0 मेढौली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को चोरी की 01 अदद मो0 साइकिल टीवीएस अपाचे व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मो0 साइकिल टीवीएस अपाचे व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट की बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 341/26 धारा 317(2)/336(2)/340(2) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मो0 वहीद ने बताया कि यह जो मोटर साइकिल है इसका कागज मेरे पास नहीं है इसे मैंने कुछ दिन पहले ही 20000 रु में साहिल ने मुझे बेची थी, वाहन के कागज के सम्बन्ध में बताया कि मैंने कागज ट्रांसफर के लिए मुझे परिवहन शाखा में दे रखा है कुछ दिनों में दे दूंगा और तभी से इससे चल रहा हूँ। साहिल को मैं लगभग पिछले 3 महीने से जानता हूँ, साहिल पिछले दो महीने से मोटरसाइकिल चुरा रहा है तथा उसे बेचकर अपना शौक पूरा करता है। तत्पश्चात दूसरे अभियुक्त साहिल बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने मऊआइमा प्रयागराज से चुराया था मैंने कई बार छोटी मोटी रूपयों की छिनैती तथा मोटरसाइकिल चोरी किये है परन्तु किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की जिससे पकड़ा नहीं गया, आज मैं वहीद के साथ रानीगंज जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

वाहन पर स्थित नम्बर प्लेट पर वाहन सं0 UP70 CG 0872 है जिसके सम्बन्ध में पूछने पर साहिल ने बताया कि मैंने बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट बनवा कर लगा दिया था जिससे चेकिंग में पकड़ा न जा सके तथा मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने वहीद को बेच दी थी। वाहन स्वामी से जिनसे जरिए दूरभाष बात की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले मेरी मोटरसाइकिल मऊआइमा से चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित थाने में प्रार्थना पत्र भी दे रखा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 वहीद पुत्र जमालुद्दीन नि0 ग्रा0 कुसफरा थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
2. साहिल उर्फ जानी पुत्र सिद्दीक नि0 ग्रा0 मेढौली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद मो0 साइकिल टीवीएस अपाचे व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामदगी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराही का0 विकास बाबू का0 दिलीप कुमार, का0 सौरभ यादव, रि0का0 रचित सिंह, रि0का0 अन्जनेय, रि0का0 विमलेश यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही: थाना लीलापुर पुलिस ने बस स्टाफ के साथ मारपीट व गुंडागर्दी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मारपीट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त फैज को क्षेत्रान्तर्गत चमरूपुर शुक्लान के पास गजराही मोड से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बांगरमऊ, थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 17.07.2026 को प्रातः गहिरी मोड़, थाना लीलापुर के पास बस में सवार दो यात्रियों द्वारा अपने साथियों को बुलाकर वादी एवं बस स्टाफ के साथ गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड, पेचकस, लात-घूंसों से मारपीट की गई। शोर सुनकर स्थानीय लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना लीलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 महेश कुमार, रि0का0 मनीष सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 228/26 धारा-126/191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351 (3) बीएनएस 7CLA Act थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त फैज पुत्र मो0 नसीम नि०ग्राम नेवादा मुस्तरका थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत चमरूपुर शुक्लान के पास गजराही मोड से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. फैज पुत्र मो0 नसीम नि०ग्राम नेवादा मुस्तरका थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 महेश कुमार, रि0का0 मनीष सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही: थाना बाघराय पुलिस ने भूमि विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आला-ए-कत्ल (कुल्हाड़ी व लाठी) बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, शिवमंगल पटेल, अभिमंगल पटेल उर्फ सौरभ को क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस वे अंडर पास धारपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़ ।

वादी निवासी सराय प्रताविन भाव ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि दिनांक 30.05.2026 को सायं लगभग 05:00 बजे उनकी भूमिधरी भूमि पर विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए जाने का विरोध करने पर उनके छोटे भाई पर कुल्हाड़ी एवं फरसे जैसे धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं साथ ही विपक्षीगण द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वादी एवं उसका परिवार भयभीत है। इस संबंध में थाना बाघराय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह रि0का0 सत्यप्रकाश व रि0का0 अंकित यादव मय, रि0आ0 सौरभ यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-137/2026 धारा 191 (2)/115 (2)/352/351 (3)/109 (1)/117 (2)बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 01. शिवमंगल पटेल पुत्र राममुरत पटेल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी लाल साहब का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़, 2. अभिमंगल पटेल उर्फ सौरभ पुत्र राममुरत पटेल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी लाल साहब का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेस वे अंडर पास धारपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस द्वारा 01 अदद कुल्हाड़ी व 01 अदद बांस की लाठी को बरामद किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग जिस हथियार से मार पिट किये थे वह हथियार 01 अदद कुल्हाड़ी व एक अदद बांस की लाठी हम दोनो व्यक्ति बकुलाही नदी पुलिया के नीचे रखकर भाग गये थे यदि आप चाहो तो हम दोनो चलकर बरामद करा सकते है । अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद कुल्हाड़ी व एक अदद बांस की लाठी बरामद की गई तथा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह वही कुल्हाड़ी है जिससे मैने शैलेन्द्र को मारा था एवं यह वही बांस की लाठी है जिससे मैने शैलेन्द्र को सर व कमर पर जान से मारने की नीयत से मारा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. शिवमंगल पटेल पुत्र राममुरत पटेल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी लाल साहब का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

2. अभिमंगल पटेल उर्फ सौरभ पुत्र राममुरत पटेल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी लाल साहब का पुरवा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 अदद कुल्हाडी व 01 अदद बांस की लाठी बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जयसुशील मिश्रा मय हमराह रि0का0 सत्यप्रकाश व रि0का0 अंकित यादव मय, रि0आ0 सौरभ यादव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही: थाना लीलापुर पुलिस ने बस स्टाफ के साथ मारपीट व गुंडागर्दी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मारपीट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त फैज को क्षेत्रान्तर्गत चमरूपुर शुक्लान के पास गजराही मोड से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम बांगरमऊ, थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 17.07.2026 को प्रातः गहिरी मोड़, थाना लीलापुर के पास बस में सवार दो यात्रियों द्वारा अपने साथियों को बुलाकर वादी एवं बस स्टाफ के साथ गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड, पेचकस, लात-धूसों से मारपीट की गई। शोर सुनकर स्थानीय लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए । इस संबंध में थाना लीलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का0 महेश कुमार, रि0का0 मनीष सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 228/26 धारा-126/191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351 (3) बीएनएस 7CLA Act थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त फैज पुत्र मो0 नसीम नि०ग्राम नेवादा मुस्तरका थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत चमरूपुर शुक्लान के पास गजराही मोड से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. फैज पुत्र मो० नसीम नि०ग्राम नेवादा मुस्तरका थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सौरभ यादव मय हमराह का० महेश कुमार, रि०का० मनीष सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मारपीट, बलवा एवं धमकी के अभियोग में 03 अभियुक्त दीपक, अरविन्द, रामसिंह को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:

वादी ने आरोप लगाया कि दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डंडा, धारदार हथियार आदि हथियारों से लैस होकर उसके प्लॉट पर पहुंचे तथा गाली-गलौज करते हुए वादी, व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर अभियुक्तों द्वारा मोबाइल छीन लिया गया तथा बीच-बचाव करने आए व्यक्ति का भी मोबाइल क्षतिग्रस्त कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कुण्डा पर धारा-191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),304,324(4) बीएनएस बनाम 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का० सर्वेश कुमार, का० भूपेन्द्र सिंह, रि०म० आरक्षी दीपालजी गुप्ता, म० आ० प्रिया शुक्ला व चालक अभिमन्यु सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं०-257/2026 धारा-191(2), 191 (3), 190,115 (2), 352,351 (3),304,324 (4) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्त 1.दीपक पुत्र श्यामलाल उम्र 38 वर्ष 2. अरविन्द पुत्र राजाराम उम्र 24 वर्ष 3.रामसिंह पुत्र हरीलाल उम्र 36 वर्ष निवासीगण ग्राम मनगढ थाना कुण्डा प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रासिंग हाइवे जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक पुत्र श्यामलाल उम्र 38 वर्ष
2. अरविन्द पुत्र राजाराम उम्र 24 वर्ष
3. रामसिंह पुत्र हरीलाल उम्र 36 वर्ष निवासीगण ग्राम मनगढ थाना कुण्डा प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का० सर्वेश कुमार, का० भूपेन्द्र सिंह, रि०म० आरक्षी दीपालजी गुप्ता, म० आ० प्रिया शुक्ला व चालक अभिमन्यु सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म, आईटी एक्ट एवं ब्लैकमेलिंग के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, आईटी एक्ट एवं ब्लैकमेलिंग के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनंजय राय के नेतृत्व में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 148/2026, धारा 64(2), 308(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं 67(ए) आईटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम सेतापुर नरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 35 वर्ष को उसके ससुराल ग्राम भरतीपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम सेतापुर नरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 35 वर्ष।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री धनंजय राय, आरक्षी सवरु यादव, चालक उपनिरीक्षक राधेकृष्ण थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।